कार्यालय :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार

पत्रांक : 01/यो0ब0–21/2019– 908 दिनांक :– 19/9/19

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा/सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला/जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2025–26 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य के लिए कुल **रू0 470.671 लाख (चार करोड़ सत्तर लाख सड़सठ हजार एक सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–33/2019–21 व0प0 दिनांक–29.07.2019 एवं आवंटन आदेश संख्या–04/यो0 बजट–33/2019–69 व0प0 दिनांक–02.08.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–59–अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 रू0 470.671 लाख (चार करोड़ सत्तर लाख सड़सठ हजार एक सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796590103	190.032
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796590323	280.639
कुल :–		**470.671**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

D:\2018-19\Development\Sub-Allotment\RSP\SCSP\Advance Work\River Side Plantation

तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2** एवं स्थल विवरणी **अनुलग्नक–3** पर तथा ऑन लाईन उप–आवंटन **अनुलग्नक–4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601796590103 तथा 19S240601796590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि का स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित विभाग के सक्षम स्तर से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया गया है। यदि नदी तट वृक्षारोपण हेतु 100 प्रतिशत वनभूमि अथवा गैर–मजरुआ भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो एसी स्थिति में नदी तट वृक्षारोपण की एक इकाई, जिसकी लम्बाई 100 मी0 होती है, उसके चयन के क्रम में यदि आंशिक रुप से रैयती भूमि आ रही हो, तो इस प्रकार की रैयती भूमि का हिस्सा (100 मी0 लम्बाई की इकाई में) यदि अधिकतम 30 प्रतिशत हो तो इस प्रकार के स्थल को वृक्षारोपण हेतु चयनित किया जा सकता है। इस क्रम में यह आवश्यक होगा कि जमीन के मालिक वन विभाग को योजना अवधि के लिए उक्त रैयती भूमि को वृक्षारोपण के लिए स्वेच्छा से सुपूर्द करने को तैयार हो एवं इसके लिए वन विभाग को इकरारनामा–सह–अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध करा दें। नदी तट किनारे वनभूमि पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य स्थल को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित स्थल चयन समिति से अनुमोदित करा लिया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा एवं निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार या GeM से की जायेगी।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

17. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

18. नदी तट पर मुख्यतः स्थायी पौधशाला में उपलब्ध अर्जुन, सेमल, कदम, करंज, शीशम, जामुन, आम, बेल, बेर, इमली, पीपल, बरगद, नीम, सिरिस, जंगली जिलेबी गम्हार आदि के प्राकृतिक प्रजातियों के कम से कम 4 से 5 फीट औसत ऊँचाई के पौधे लगाये जायेंगे, जो वहाँ के मिट्टी एवं नमी के अनुरूप हो। इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–21/2019–** 908 **दिनांक–** 19/9/19

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/जमशेदपुर/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–21/2019–**908 **दिनांक–** 19/9/19

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा/ सरायकेला/ जमशेदपुर/ डोरण्डा/ सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक—1

वित्तीय वर्ष 2019—20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप—आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2019—20 में रू0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (कि0मी0 में)	यूनिट कि संख्या (प्रति कि0मी0 10 यूनिट)	वित्तीय वर्ष 2019—20 (अग्रिम कार्य)		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				404324.90	597105.40	1001430.30
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	2.00	20.00	8.086	11.942	20.028
2	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	15.00	150.00	60.649	89.566	150.215
3	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	15.00	150.00	60.649	89.566	150.215
4	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा	5.00	50.00	20.216	29.855	50.071
5	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	5.00	50.00	20.216	29.855	50.071
6	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	5.00	50.00	20.216	29.855	50.071
योग :—		**47.00**	**470.00**	**190.032**	**280.639**	**470.671**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\2019-20\Development\Sub-Allotment\RSP\TSP\Advance Work\Work Program-1\Sub-Allotment-2\River Side Plantation

नदी तट पर वृक्षारोपण का अनुसूचित दर तालिका

पौधों की संख्या प्रति यूनिट	300	
पौधो की दूरी	2mx3m	
1 यूनिट का परिमाप	2000 m2	**100*20**
1 यूनिट में घेरान की कुल लम्बाई	240m	
मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	249.83	रुपये

क्र. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A	**वित्तीय वर्ष 2019–20 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 249.83**					
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्रति इकाई	0.6	149.90		149.90
2	घनी झाड़ी सफाई	प्रति इकाई	2	499.66		499.66
3	**घेरान कार्य**	प्रति इकाई	-			
3.1	आर0सी0सी0 पीलर 82 सं0 823.00 रू0 प्रति पीलर। पीलर का आकार 7' x 4" x 4" का निर्माण एवं 1' x 1' x 2' का गड्ढा में ढलाई कर लगाने का खर्च	प्रति इकाई	118	29479.94	39475.16	68955.10
3.2	कंटीला तार 4Point 2Ply 12swg, 15cm apart 64.32 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 225 kg	प्रति इकाई	0.00	0.00	14472.00	14472.00
3.3	कंटीलातार को खींचने, सीधा करने, स्केल इत्यादि लगाने का कार्य सहित।	प्रति इकाई	5.93	1481.49		1481.49
3.4	आर0सी0सी0 पीलर एवं कंटीलेतार की कार्य स्थल तक ढुलाई 15% of (3.1+3.2)	प्रति इकाई	27.51	6872.82	5763.38	12636.20
4	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.) 0.027 क्यू0 मी0 967 पीट प्रति हे0 (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	प्रति इकाई	6.60	1648.88	0.00	1648.88
5	मृदा एवं जल संरक्षण–गली प्लगिग/सिल्ट रिटेंशन डैम/कंटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	प्रति इकाई	1.20	299.80	0.00	299.80
	कुलः–		**161.84**	**40432.49**	**59710.54**	**100143.03**
B	**वित्तीय वर्ष 2020–21 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 287.30 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2019–20 को आधार मानते हुए**					
1	पौधों का क्रय ढुलाई सहित 360	10 रू0 प्रति	0	0.00	3600.00	3600.00
2	वृक्षारोपण	प्रति इकाई	6.6	1896.18	0.00	1896.18
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	प्रति इकाई	7.50	2154.75	0.00	2154.75
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	18.00	5171.40		5171.40
5	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	472.13	472.13
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	प्रति इकाई		0.00	500.00	500.00
	कुलः–		**32**	**9222.33**	**4572.13**	**13794.46**
C	**वित्तीय वर्ष 2021–22 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 330.40 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020–21 को आधार मानते हुए**					
1	एक कोड़नी–निकौनी	प्रति इकाई	4.2	1387.68	0.00	1387.68
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/उरिया, जैविक किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	661.40	661.40
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	7929.60	0.00	7929.60
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.20	396.48	275.00	671.48
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (@10%) 100 Plant	प्रति इकाई	0.62	204.85	100.00	304.85
6	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	13.64	4506.66	0.00	4506.66
	कुलः–		**43.66**	**14425.26**	**1036.40**	**15461.66**

क. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल
	ii	iii	iv	v	vi	vii
D	**वित्तीय वर्ष 2022–23 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 379.96 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए**					
1	एक कोड़नी–निकौनी	प्रति इकाई	4.2	1595.83		1595.83
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	204.90	204.90
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	9119.04	0.00	9119.04
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.2	455.95	275.00	730.95
5	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	13.64	5182.65		5182.65
	कुलः–		**43.04**	**16353.48**	**479.90**	**16833.38**
E	**वित्तीय वर्ष 2023–24 में संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 436.95 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022–23 को आधार मानते हुए**					
1	एक कोड़नी–निकौनी	प्रति इकाई	4.2	1835.19		1835.19
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	204.90	204.90
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	5243.40		5243.40
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.20	524.34	275.00	799.34
	कुलः–		**17.4**	**7602.93**	**479.90**	**8082.83**
F	**वित्तीय वर्ष 2024–25 में संपोषण कार्य (षष्टम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 502.49 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2023–24 को आधार मानते हुए**					
1	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	6029.88		6029.88
	कुलः–		**12**	**6029.88**	**0.00**	**6029.88**
G	**वित्तीय वर्ष 2025–26 में संपोषण कार्य (सप्तम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 577.86 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2024–25 को आधार मानते हुए**					
1	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	6934.32		6934.32
	कुलः–		**12**	**6934.32**	**0.00**	**6934.32**
	सकल योगः–		**322.040**	**101000.69**	**66278.87**	**167279.56**

नोट (1) कंटीले तार का क्रय GeM द्वारा अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की समिति की अनुशंसित दर पर किया जाएगा (जो न्यूनतम हो)।

(2) प्रत्येक ब्लॉक के बीच सुगम आवगमन हेतु कुछ अंतर रखा जाए, ताकि आदमी एवं जानवर का आवागमण हो सके। व्यवहारिक रुप से 10 ब्लॉक को 1 कि0 मी0 माना जा सकता है।

(3) स्थल पर उपलब्ध भूमि के आकार एवम् लगाए जाने वाले पौधों की संख्या के अनुसार क्रमांक (A) से क्रमांक (E) तक कार्यों की दर को Pro-rata आधार पर स्थल – विशिष्ट प्राक्कलन पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात व्यय किया जाएगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–3

वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2025–26 तक कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण'' योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण का स्थल विवरणी

क्र0	प्रमण्डल का नाम	वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रस्ताव		
		प्रक्षेत्र का नाम	नदी/स्थल का नाम	रकबा (कि0मी0 मे)
1	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	चाईबासा वन प्रक्षेत्र	कुजू नदी	2
		योग		**2**
2	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	सरायकेला प्रादेशिक प्रक्षेत्र	खरकाई नदी (तितिरबिला से कोपे, मुडकुम)	15
		योग		**15**
3	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	मानगो प्रक्षेत्र	सुवर्णरेखा नदी (केशीकुदर से चतरो)	6
		चाकुलिया वनरोपण	सुवर्णरेखा नदी (सियालबिन्दा से मछुआबेरा)	6
		मुसाबनी प्रक्षेत्र	सुवर्णरेखा नदी चाकुलिया से बड़ाघाट (टेरेंगा एवं बेनाशोल)	3
		योग		**15**
4	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा	सा0वा0प्रक्षेत्र, झींकपानी	गुमरा नदी	3
		सा0वा0प्रक्षेत्र, मझगाँव	कौगु नदी	2
		योग		**5**
5	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	सा0वा0प्रक्षेत्र, राँची	जुमार नदी	5
		योग		**5**
6	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	सा0वा0प्रक्षेत्र, कोलेबिरा	दक्षिण कोयल नदी	5
		योग		**5**
	योग:–			**47**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-21/2019/908

दिनांक - 19-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	59785	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	808,600.00 रुपये आठ लाख आठ हजार छः सौ
2	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	59786	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	6,064,900.00 रुपये साहठ लाख चौसठ हजार नौ सौ
3	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	59787	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	6,064,900.00 रुपये साहठ लाख चौसठ हजार नौ सौ

योग: 12,938,400.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड उन्तीस लाख अडतीस हजार चार सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-21/2019/908 दिनांक - 19-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	59788	SGHFOR001 SRI. MAHALING (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	2,021,600.00 रुपये बीस लाख इक्कीस हजार छः सौ
5	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	59789	DRNFWL004 SHRI ASHOK KUMAR DUBEY DFO SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	2,021,600.00 रुपये बीस लाख इक्कीस हजार छः सौ
6	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	59790	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	2,021,600.00 रुपये बीस लाख इक्कीस हजार छः सौ

योग: 6,064,800.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड नब्बे लाख तीन हजार दो सौ 19,003,200.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	59792	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	1,194,200.00 रुपये ग्यारह लाख चौरानवे हजार दो सौ
8	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	59793	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D.F.O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	8,956,600.00 रुपये नवासी लाख छप्पन हजार छः सौ
9	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	59794	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	8,956,600.00 रुपये नवासी लाख छप्पन हजार छः सौ

योग: 19,107,400.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड इक्कयासी लाख दस हजार छः सौ 38,110,600.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-21/2019/908 दिनांक - 19-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	59795	SGHFOR001 SRI. MAHALING (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	2,985,500.00 रुपये उन्तीस लाख पिचयासी हजार पाँच सौ
11	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	59796	DRNFWL004 SHRI ASHOK KUMAR DUBEY DFO SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	2,985,500.00 रुपये उन्तीस लाख पिचयासी हजार पाँच सौ
12	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	59797	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	2,985,500.00 रुपये उन्तीस लाख पिचयासी हजार पाँच सौ

योग: 8,956,500.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड सत्तर लाख सड़सठ हजार एक सौ 47,067,100.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

 164.100.151.248 Run Date: 19/9/2019